राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0)
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com ebsite:www.sudaup.org

पत्रांक 493/241/एनयूएलएम/तीन/2001(CB&T)-TC-II दिनांक 28-8-17

सेवा में,

मे0 एक्जीम वेन्चर्स प्रा0 लि0
स्थानीय कार्यालय– शाप नं0–95 एवं 102,
प्रथम तल, जीवन प्लाजा, विपुल खण्ड–2,
स्टडी हाल स्कूल के पीछे, गोमती नगर,
लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– **सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में संविदा/सेवा प्रदाता के माध्यम सहित समस्त श्रोतों से भरी जा रही रिक्तियों को सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना तथा उन्हें पोर्टल के माध्यम से भरा जाना।**

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1068/69–1–2017–14(76)/2017 दिनांक 17.07.2017 के साथ संलग्न मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 371/छत्तीस–5–2017–5(7)/2015 दिनांक 19.06.2017 जोकि सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियां सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित किये जाने के संबंध में है, (जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

शासन के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा sewayojan.up.nic.in नामक पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर लाखों की संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। पोर्टल पर अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार की सूचना एस0एम0एस0/ई–मेल से दिये जाने की भी सुविधा है। जिस पर सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियां सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित किये जाने आदि के संबंध में निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपको निर्देश दिया जाता है कि शासन के उक्त पत्र के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र में विषयगत के संबंध में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सहायक वेबमास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

संख्या–1068 / 69–1–2017–14(76) / 2017

प्रेषक,

मनिराम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक : 17 जुलाई, 2017

विषय : सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों में संविदा / सेवा प्रदाता के माध्यम सहित समस्त श्रोतों से भरी जा रही रिक्तियों को सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना तथा उन्हें पोर्टल के माध्यम से भरा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–371 / छत्तीस–5–2017–5(7) / 2015 दिनांक 29.06.2017 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रोजगार कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 के प्रस्तर–4 के प्राविधानों का सेवायोजकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों में सेवाप्रदाता के माध्यम से भी भर्तियां की जा रही हैं। इन भर्तियों का व्यापक प्रचार–प्रसार न हो पाने के कारण एक ओर बेरोजगारों को इन पदों पर रोजगार हेतु आवेदन का अवसर नहीं मिलता है, वहीं दूसरी ओर सेवायोजकों को भी अवसर के अनुरूप कुशल अभ्यर्थी के चयन में असुविधा होती है। सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा sewayojan.up.nic.in नामक पोर्टल तैयार कराया गया है। इस पोर्टल पर लाखों की संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पोर्टल पर अभ्यर्थियों को परीक्षा / साक्षात्कार की सूचना एस0एम0एस0 / ई–मेल से दिये जाने की भी सुविधा है। उक्त के दृष्टिगत यह निर्देश दिये गये हैं कि सभी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियां सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित किये जाने की व्यवस्था की जाय। सभी सेवायोजक अपनी रिक्यिां सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें। तत्पश्चात पोर्टल पर रिक्ति प्रकाशन के बाद उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को एस0एम0एस0 / ई–मेल के माध्यम से रिक्ति की सूचना प्रेषित की जाय। रिक्ति के सापेक्ष आवेदन करने वाले सही अभ्यर्थियों के नाम सेवायोजक को प्रेषित किये जायं। सेवायोजक अपने स्तर पर स्क्रीनिंग कर उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष एक निश्चित अनुपात में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा / साक्षात्कार हेतु आहूत करें। चयन पर विचार करने हेतु सीधे अथवा अन्य सभी माध्यमों से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर भी विचार किया जायेगा। चयन की कार्यवाही सेवायोजक द्वारा पूरी की जाय तथा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नाम भी पोर्टल पर प्रदर्शित किये जायं।

2. अतः कृपया उपरोक्त अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था एवं उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

सं0-3778/9-8-17 1068/69-1-2017

संख्या–371 / छत्तीस–5–2017–5(7) / 2015

संख्या 7893 / प्र0स0न0वि0 / 2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।

श्रम अनुभाग–5 लखनऊ : दिनॉक 11 जून, 2017

विषय : सरकारी / अर्द्वसरकारी विभागों में संविदा / सेवाप्रदाता के माध्यम सहित समस्त श्रोतों से भरी जा रही रिक्तियों को सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना तथा उन्हें पोर्टल के माध्यम से भरा जाना।

महोदय,

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 के प्रस्तर–4(1) में निम्नवत् प्राविधानित है :–

4(1). After the commencement of this Act in any state or area thereof the employer in every establishment in public sector in that state or area shall, before filling up any vacancy in any employment in that eatablishment, notify that vacancy to such employment exchanges as may be prescribed.

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सेवायोजकों द्वारा उक्त प्राविधान का अनुपालन नही किया जा रहा है। कृपया प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

2– उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न सरकारी / अर्द्वसरकारी विभागों में सेवाप्रदाता के माध्यम से भी भर्तियां की जा रही है। इन भर्तियों का व्यापक प्रचार–प्रसार न हो पाने के कारण एक ओर बेरोजगारों को इन पदों पर रोजगार हेतु आवेदन करने का अवसर नहीं मिलता है, दूसरी ओर सेवायोजकों को भी अवसर के अनुरूप कुशल अभ्यर्थी के चयन में असुविधा होती है। सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा sewayojan.up.nic.in नामक पोर्टल तैयार कराया गया है। इस पोर्टल पर लाखों की संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित बेरोजगार

2/–

(देवेश मिश्र)
अनुभाग अधिकारी
नगर विकास अनुभाग-8
उ0 प्र0 शासन।

अभ्यर्थी पंजीकृत है। पोर्टल पर अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार की सूचना एस0एम0एस0/ई–मेल से दिये जाने की भी सुविधा है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियां सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित किये जाने की व्यवस्था की जाय। सभी सेवायोजक अपनी रिक्तियॉ सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अवश्य अपलोड करे। तत्पश्चात पोर्टल पर रिक्ति प्रकाशित करने के बाद रिक्ति में उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के पास एस0एम0एस0/ई–मेल के माध्यम से रिक्ति की सूचना प्रेषित कर दी जाये। रिक्ति के सापेक्ष आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के नाम सेवायोजक को प्रेषित कर दिये जाये। सेवायोजक अपने स्तर पर स्क्रीनिंग करके उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष एक निश्चित अनुपात में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आहूत करें। चयन पर विचार करने हेतु सीधे अथवा अन्य सभी माध्यमों से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर भी विचार किया जायेगा। चयन की कार्यवाही सेवायोजक द्वारा पूरी की जाये तथा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नाम भी सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाये।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्या–371(1)/छत्तीस–5–2017 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(सन्तोष शर्मा)
विशेष सचिव